!! कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

दिनांक : 12 FEB 2024

क्रमांक : स्था./सार्व.अव./2024/5501

-: आ दे श :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2023 दिनांक 16.11.2023 एवं इस पर पृष्ठांकन क्रमांक सामान्य/XII/07/2023/SC-I/2252 दिनांक 16.11.2023 में अंकित नोट–2 के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश को दो ऐसे स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है जो उनके क्षेत्र में स्थानीय धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर उचित हों।

जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा द्वारा आदेश क्रमांक सामान्य/राज.अव./2024/1556 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा खैरथल–तिजारा जिले में निम्नलिखित दो स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं :–

क०सं०	अवकाश का नाम	दिनांक	वार
1	मेला बाबा मोहनराम काली खोली	26.03.2024	मंगलवार
2	मेला श्री हनुमान जी महाराज	10.09.2024	मंगलवार

अतः खैरथल–तिजारा जिले में अलवर न्यायक्षेत्र के किशनगढबास, तिजारा, भिवाडी, कोटकासिम व मुण्डावर मुख्यालय सम्मिलित होने से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्देशों की अनुपालना में अलवर न्यायक्षेत्र के किशनगढबास, तिजारा, भिवाडी, कोटकासिम व मुण्डावर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के लिए वर्ष 2024 में उपरोक्त दोनों स्थानीय अवकाश एतदद्वारा घोषित किये जाते हैं।

Sd/-

(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

Mail

दिनांक : 12 FEB 2024

क्रमांक : स्था./सार्व.अव./2024/5502–39

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर
2– श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर
3– पीठासीन अधिकारी, समस्त अधीनस्थ न्यायालय, किशनगढबास, तिजारा, भिवाडी, कोटकासिम व मुण्डावर मुख्यालय
4– जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा
5– जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल–तिजारा/भिवाडी/कोटपूतली–बहरोड
6– अधीक्षक, जिला कारागृह, अलवर/उप कारागृह बहरोड़/किशनगढ़बास
7– अध्यक्ष, समस्त अभिभाषक संघ, किशनगढबास, तिजारा, भिवाडी, कोटकासिम व मुण्डावर मुख्यालय
8– सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
9– नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

12-2-24

(हरेन्द्र सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र